



विद्युत मंत्रालय

# प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना “सौभाग्य” का शुभारंभ किया

Posted On: 25 SEP 2017 10:41AM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक को बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक नवीन योजना “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य” का शुभारंभ किया है।

इस परियोजना की कुल लागत 16,320 करोड़ रूपए है और इसमें 12,320 करोड़ रूपए का सकल बजट सहयोग(जीवीएस) प्रदान दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना की कुल लागत 14,025 करोड़ रूपए है और इसके लिए 10,587.50 करोड़ रूपए का सकल बजट सहयोग प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए योजना की कुल लागत 2,295 करोड़ रूपए है और इसके लिए 1,732.50 करोड़ रूपए का सकल बजट सहयोग प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर, 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य पूर्ण करना होगा।

योजना के अंतर्गत निशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए लाभकर्ता का चयन वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनसंख्या (एसईसीसी) द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही एसईसीसी आंकड़ों के तहत बिना बिजली वाले घरों में भी मात्र 500 रूपए के भुगतान द्वारा कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। यह राशि बिजली बिल की 10 किस्तों में वापिस की जाएगी।

दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में बिना बिजली वाले घरों में बैटरी बैंक सहित 200 से 300 डब्ल्यूपी वाले सौर ऊर्जा पैक प्रदान किए जाएंगे। इसमें 5 एलईडी लाइट, एक डीसी पंखा और एक डीसी पावर प्लग सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही पांच वर्षों तक मरम्मत और देखभाल भी की जाएगी।

## योजना के अपेक्षित परिणाम

1. रेशनी के लिए केरोसिन का प्रयोग न करने से पर्यावरण में सुधार
2. शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति
3. उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं
4. रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल द्वारा बेहतर संपर्कता
5. आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में वृद्धि
6. विशेष रूप से महिलाओं सहित सभी के जीवनस्तर में सुधार

योजना को सरल और तेजी से लागू करने के लिए घरों के सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप का प्रयोग किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभकर्ताओं की पहचान, बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन, आवेदक का चित्र और पहचान का प्रमाण हाथ-हाथ पंजीकृत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/सार्वजनिक संस्थान को पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्रों को एकत्र करने, बिल वितरित करने और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के साथ विचार-विमर्श के बाद बिल जमा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण कांपैरिशन लिमिटेड (आरईसी) देश भर में योजना के संचालन के लिए नोडल संस्था रहेगा।

\*\*\*\*\*

वीके/एजे/पीबी-3920

(Release ID: 1504004) Visitor Counter : 20

